



ओ३म्

फार्म संख्या : 357

पंजीकरण संख्या :

①

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय (विद्यालय-विभाग)

देहरादून - २४८ ००१ (उत्तराखण्ड)

(प्रथम से इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा तक पूर्ण आवासीय विद्यालय)

प्रवेश पंजीकरण आवेदन-पत्र

1. छात्रा (student) का पूरा नाम
2. पिता का नाम श्री
3. माता का नाम श्रीमती
4. अभिभावक (Guardian) का नाम श्री छात्रा से सम्बन्ध
5. स्थाई पता

छात्रा का फोटो
Latest Photo
of
student

दूरभाष संख्या (Mobile No)

6. पत्राचार का पता (Address)

7. जन्मतिथि (अंको में) (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
शब्दों में

8. किस कक्षा में प्रवेश चाहते हैं पूर्वोत्तीर्ण कक्षा (Previous)
पूर्वोत्तीर्ण/अध्ययनरत् विद्यालय का नाम

9. संलग्न प्रमाण-पत्रों की संख्या विवरण सहित

कार्यालय प्रयोग हेतु

रुपये रसीद संख्या दिनांक

पर जमा कर दिया गया है। पंजीकरण संख्या..... है। प्रवेश परीक्षा ले लें।

प्रधानाचार्या

कृ०प०३०

माता-पिता/अभिभावक एवं छात्रा से मिलने वालों के नवीनतम रंगीन चित्र तथा प्रवेशार्थी से सम्बन्ध

1 Guardian Photo	2 Guardian Photo	3 Guardian Photo	4 Guardian Photo

आवश्यक निर्देश :

- छात्रा का धन नगद/ड्राफ्ट/मनीआर्डर द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा। चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- सभी कक्षाओं के ब्रह्मचारिणियों को समस्त शेष धन, वार्षिक परीक्षा से पूर्व ही जमा कराना होगा। अन्यथा छात्राओं को वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- कन्या गुरुकुल के विद्यालय आश्रम में बालिका की पूर्ण सुरक्षा है परन्तु यदि बालिका विद्यालय/आश्रम से बिना अनुमति के चली जाती है तो संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में बढ़ाया गया व्यय इत्यादि का संरक्षक/अभिभावक सहर्ष भुगतान करेगा।
- प्रवेश आवेदन-पत्र पर प्रवेश के समय जिस संरक्षक/अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे, उसी के हस्ताक्षर से ही छात्रा का नाम पृथक् किया जा सकेगा।
- छात्रा को पूर्व से ही कोई व्यसन/बीमारी हो तथा संरक्षक/अभिभावक द्वारा उस तथ्य को छिपाया तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संरक्षक/अभिभावक का ही होगा।
- छात्रा का प्रवेश केवल प्रवेश-परीक्षा के आधार पर ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- छात्रा-प्रवेश के समय स्थान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) की प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति प्रवेश की निश्चित अवधि में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- किसी भी वाद-विवाद का न्यायिक क्षेत्र केवल जनपद देहरादून ही होगा।**
- छात्रा की प्रवेश के समय चिकित्सीय जाँच का प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा।
- प्रवेश के समय नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र अवश्य साथ लायें, अन्यथा प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
- सत्रान्त 20 मई के पश्चात छात्रा को घर ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। घर न ले जाने की स्थिति में की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की उत्तरदायित्व अभिभावक का होगा।

ह० माता-पिता/अभिभावक(Gurardian)

मैंने सभी निर्देश पढ़ लिये हैं तथा मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ।

अभिभावक शपथ-पत्र

मैंने गुरुकुल की प्रवेश नियमावली में वर्णित सभी नियमों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं नियमानुसार प्रतिज्ञा-पत्र लिखने को उद्यत हूँ। बालिका के सम्बन्ध में उल्लेखित विवरण आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

दिनांक :

ह० माता-पिता/अभिभावक(Gurardian)

नाम

विशेष : किसी भी नियम-परिवर्तन का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित है।